राज्यपाल सचिवालय, विहार
राजभवन, पटना–800022

प्रेस–विज्ञप्ति

राजभवन में कुलपतियों की बैठक आयोजित हुई

पटना, 13 फरवरी 2018

आज राजभवन में महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में कुलपतियों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

- बैठक में राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, निर्धारित समयावधि में उनके कार्यान्वयन हेतु हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि 'एकेडमिक कैलेण्डर' तैयार कर उसका पूरी तरह परिपालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

- आज सम्पन्न बैठक में महामहिम राज्यपाल के सुझाव के आलोक में सर्वसम्मत यह निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य में बी॰एड॰ पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक 'कॉमन इन्टरेंस टेस्ट' लिये जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कुलपतियों एवं विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए। 'रोटेशन' के आधार पर विश्वविद्यालय इस प्रवेश–परीक्षा का आयोजन करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा के आधार पर सफल विद्यार्थी ही राज्य में बी॰एड॰ के पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षण–संस्थानों में निर्धारित सीटों पर अपने नामांकन ले सकेंगे। इसके लिए समिति आवश्यक सुझाव देगी।

- बैठक में एक अन्य महत्त्वपूर्ण यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च, 2018 तक सभी विश्वविद्यालय छात्र–संघ का चुनाव अनिवार्यतः करा लेंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने बैठक में बताया कि छात्र–संघ के चुनाव के लिए उनके द्वारा आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और वे निर्धारित समयावधि में चुनाव करा लेंगे।

- बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 5 मार्च, 2018 को राजभवन में वित्तीय सलाहकारों एवं कुलसचिवों की एक बैठक होगी, जिसमें शिक्षा विभाग के भी अधिकारी शामिल होंगे। उक्त बैठक में ही विगत वित्तीय वर्षों के लिए सरकार द्वारा आबंटित विभिन्न राशियों से संबंधित 'उपयोगिता–प्रमाण–पत्र' भी प्रस्तुत करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को कहा गया। 5 मार्च की इस बैठक में ही 'सातवें वेतनमान' के कार्यान्वयन, प्रोन्नति, सेवांत लाभ आदि से संबंधित भुगतेय राशि विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की गई। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि मार्च, 2018 तक सेवानिवृत्त होनेवाले सभी शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन एवं पेंशनादि से संबंधित सभी भुगतान भी ससमय सुनिश्चित होने चाहिए।

लगातार....पृष्ठ.. 2 पर

● बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 31 मार्च, 2018 तक विश्वविद्यालय परिसरों, स्नातकोत्तर विभागों के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर तक बायोमेट्रिक सिस्टम संस्थापित कर लिया जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा भी लगाने पर विचार हुआ। साथ ही शिक्षकों की अनियमित अनुपस्थिति के विरूद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा कृत कार्रवाई पर भी शीघ्र प्रतिवेदन भेजने को कहा गया।

● इस समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि किसी भी प्रस्वीकृति प्राप्त (Affliated) महाविद्यालय या बी॰एड॰/सेल्फ फिनांस्ड कोर्सेज के शिक्षकों को किसी भी प्रकार के वेतन/मानदेय का भुगतान 'आधार संयोजित' बैंक खाते के जरिये ही किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय इस निदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

● बैठक में प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने बताया कि गर्ल्स कॉमन रूम, शौचालय–निर्माण, परीक्षा–भवन निर्माण आदि के लिए विश्वविद्यालयों के अनुरोध पर उन्हें आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में स्वच्छ पेयजल हेतु आर॰ओ॰ वाटर प्यूरीफायर संयंत्र लगाने का भी निर्णय लिया गया।

● बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सप्ताह विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के निरीक्षण के लिए एक सर्वे–दल शिक्षण संस्थानों में भ्रमण करेगा तथा शिक्षण संस्थानों में सफाई और सौन्दर्यीकरण अभियान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करायेगा।

● बैठक में निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशालोक में ही अनुकम्पा–नियुक्तियों के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही संविदा नियुक्तियों में भी सरकारी निदेशानुरूप आरक्षण–नियमों का परिपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

● बैठक के निर्णयालोक में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्टेशनरी आदि सामग्रियों के क्रय में 'GeM' प्रणाली को अपनाया जाएगा। इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालयों से तीन–तीन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर 'मास्टर ट्रेनर' बनाया जाएगा, जो महाविद्यालयों आदि में भी इस क्रय–व्यवस्था को सफलतया कार्यान्वित कराने के लिए अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे।

● बैठक में विश्वविद्यालयों में गठित 'रिड्रेशल सेल' को मजबूत करने तथा विभिन्न वादों के निष्पादन में सुविधा हेतु उनके अनुश्रवण आदि के लिए केन्द्रीकृत व्यवस्था विकसित करने के लिए भी राज्यपाल सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) को कहा गया।

बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर॰के॰ महाजन एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय एवं शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

.....